

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

अज अदालत SDO (नियम 26) खीवा  
 मुकाम खीवा  
 कसम मुकद्दमा कमलचंद बनाम कमली लाल  
 नं. 53 R.O.A.C. नं. 64/18 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------

25/1/18

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट खीवा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि

कमलचंद/कमली लाल, एवं मंगीलाल (पत्नी), गंगोत्री नगर द्वारा आपसी रीतिराम द्वारा बटव/पेचोपेच द्वारा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा खीवा

① कमलचंद, मंगीलाल, पत्नी, गंगोत्री नगर  
द्वारा, 0.22

② कमलचंद, मंगीलाल, पत्नी, गंगोत्री नगर  
द्वारा, 0.22

③ कमलचंद, मंगीलाल, पत्नी, गंगोत्री नगर  
द्वारा, 0.22

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जितेंद्र कुमार साण्डे)

RAS

पीठासीन अधिकारी, खीवा

उपस्थित अधिकारी एवं

पुस्तक को लोकर

